राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/डीपीसी/अलेसे–II/2018–19 985 दिनांकः– 06/09/2018

कार्यालय आदेश

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9296/ 2018 द्वारा श्री मनोज कुमार दशोरा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने अपने निर्णय दिनांक 02.05.2018 द्वारा निर्देशित किया है कि "In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than ten weeks from the date of receipt of the representation alongwith a certified copy of this order."

प्रकरण में श्री मनोज कुमार दशोरा से प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। श्री दशोरा 1988 बैच के कनिष्ठ लेखाकार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अनुसार इनकी मैरिट आर 186/88 है। श्री दशोरा ने दिनांक 26.08.1991 को कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम बार कार्यग्रहण किया। श्री दशोरा के आवेदन अनुसार उनसे कनिष्ठ श्री बाबूलाल बुनकर, श्री हनुमानसहाय चंदेल (बैच 1989) उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है।

इस बिन्दु का परीक्षण किया गया। यह सत्य है कि श्री बाबूलाल एवं हनुमान सहाय 1989 बैच के होने के कारण 1988 बैच से कनिष्ठ है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन दोनो कार्मिकों ने दिनांक 11.02.1991 को कार्यग्रहण किया जबकि श्री दशोरा ने दिनांक 26.08.1991 को कार्यग्रहण किया।

यह सत्य है कि अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिको की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त मैरिट अनुसार निर्धारित होती है तथा कनिष्ठ कार्मिक के अधिक वेतन प्राप्त करने पर वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी उसके समान किए जाने का राजस्थान सेवा नियमों में प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम लागू नहीं होते क्योंकि श्री दशोरा ने कनिष्ठ कार्मिको के भी बाद में राज्य सेवा में कार्यग्रहण किया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन स्थिरिकरण कमचारी की सेवा अवधि के आधार पर होते है न कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की मैरिट अनुसार। श्री दशोरा द्वारा श्री बाबूलाल बुनकर के समान वेतन एवं एसीपी देय होने का आवेदन किया है। श्री बाबूलाल बुनकर ने 11.02.1991 को कार्यग्रहण किया है जबकि श्री दशोरा ने 26.08.1991 को कार्यग्रहण किया है। अतः विलम्ब से कार्यग्रहण करने एवं 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही च.वे.मा. देय होता है अतः श्री दशोरा की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री लावण्य कुमार, श्री प्रेम चन्द शर्मा, श्री सुधीर कुमार एवं श्री राजेन्द्र पारीक सभी (1988) बैच के कनिष्ठ लेखाकार प्रकरण में श्री लावण्य कुमार की प्रथम नियुक्ति तिथि 28.08.1991 है तथा अन्य तीन की नियुक्ति तिथि भी अगस्त 1991 ही है। इनकी राजस्थान सिविल सवा अपील अधिकरण में वर्ष 2002 में अपील संख्या 703/ 2002, 704/ 2002, 205/ 2002 एवं 706/ 2002 में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 01.10.2009 के द्वारा आदेश दिए गए कि इनका वेतन श्री बाबूलाल बुनकर

व अन्य के समान 11.02.1991 से नियत किया जावे। उक्त आदेशों के तहत इनका वेतन 11.02.1991 को नियत किया गया था। जो दृष्टान्त नहीं है। अतः माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार वेतन नियतन के फलस्वरूप दिनांक 10.02.2009 से पूर्व अवधि का काल्पनिक लाभ दिया गया तथा 11.02.2009 के उपरान्त नियत वास्तविक लाभ दिया गया था। श्री दशोरा का वेतन उन्नयन माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार किए गए नियतन से तुलना योग्य नहीं होने के कारण श्री दशोरा की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री दशोरा द्वारा वर्ष 2013–14 से पूर्व की डीपीसी में पदौन्नति की मांग की गई है जो निराधार है। बैच 1988 के कार्मिको की मैरिट अनुसार ही 2013–14 में पदौन्नति हुई है। अतः श्री दशोरा की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

राजस्थान सेवा नियम के नियम 32 में प्रावधान है कि वरिष्ठ कार्मिक जिसने कनिष्ठ से पूर्व कार्यग्रहण किया है तथा मैरिट में भी कनिष्ठ से ऊपर है। ऐसे कार्मिको को ही वेतन उन्नयन का लाभ देय होता है। उक्त प्रकरण में श्री दशोरा ने कनिष्ठ कार्मिक से बाद में कार्यग्रहण किया है। अतः आवेदन के परीक्षण उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रकरण में श्री दशोरा को कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/डीपीसी/अलेसे–II/2018–19/925 दिनांकः– 06/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षक कृपया पालना सुनिश्चित करावें।
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को पालनार्थ।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\Kamal ji\order